

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 329 / 2025

1 रोशन लाल पुत्र श्री हंसराज जाति नायक आयु- 45 वर्ष निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम


- 1 हंसराज पुत्र बींझा जाति नायक निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 सुमन पत्नी सुभाषचन्द्र निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3 रेशमादेवी पत्नी राधाकृष्ण निवासी माणकसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 4 कमलादेवी पत्नी जवाहरलाल निवासी माणकसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 5 कैलाश पत्नी राकेश कुमार निवासी जसाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6 चन्द्रमुखी पुत्री श्री हंसराज निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
रेखा पत्नी महावीर प्रसाद निवासी खोंथावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक 3/10/25.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अंकित सिंझाना व प्रतिवादी वकील नरेन्द्र चिनिया अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक 10 ए.जी. ए. जमाबंदी सम्बत् 2075 - 78 खाता संख्या-87/78 प0न0 212/370 (23) कि०न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18, 19, 20/3.036 है0 कि0न0 21/1/.202 है, 22/1/.202 है0, 23/1/.202 है0, प०न० 212/371 (29) कि0न0 1/1/.240 है0, 1/2/013 है0, 2/1/.152 है0, कुल तादादी 4.047 है0 आराजी का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर चक न0 10 ए0जी0ए0 के खाता स0 87/78 में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।